

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 452/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 11.12.2025

डॉ० अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 11.12.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी-

प्रेस-नोट

थाना – जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 04 अभियुक्त/अभियुक्ताएं गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में थाना जीयनपुर पुलिस को गैंगेस्टर एक्ट में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। संगठित गिरोह के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमे मु0अ0सं0-507/2025 धारा 3(1)/2b(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम-1986 से संबंधित 04 वांछित अभियुक्त/अभियुक्ताओं सुरेश राम, संतोष वर्मा उर्फ तोसू, पूनम, राधा को आज दिनांक 11.12.2025 को मुख्य खास की सूचना पर ग्राम गड़ेरी पट्टी स्थित सुरेश राम के घर से समय लगभग 09:05 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरोह की पृष्ठभूमि एवं अपराध का तरीका)Modus Operandi)

मुख्य गैंग लीडर राज उर्फ सवारिया के नेतृत्व में संगठित गिरोह द्वारा क्षेत्र के भीड़-भाड़ वाले स्थानों, साप्ताहिक बाजारों तथा मेलों में सक्रिय होकर महिलाओं एवं आमजन के सोने-चांदी के आभूषणों की स्नेचिंग, जेबकट्टी एवं चोरी जैसे अपराध निरंतर रूप से किए जाते रहे हैं। गिरोह के सदस्य भीड़ में धक्का-मुक्की पैदा कर पीड़ित को असावधान करते हैं और कुछ ही सेकंड में चेन/हार/कान की बाली/पर्स आदि निकालकर दूसरे सदस्य को पास कर देते हैं। अपराध के बाद सभी सदस्य अलग-अलग दिशाओं से निकलकर बच निकलते हैं। गिरोह में पुरुष व महिलाएं दोनों शामिल हैं, जिनकी मिलीभगत से घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। इस गिरोह के विरुद्ध प्रभारी निरीक्षक जीयनपुर द्वारा प्रस्तुत गैंगचार्ट को जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 – 507/2025 धारा – 3(1)/2b(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 थाना – जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- सुरेश राम पुत्र स्व0 किशोरी राम निवासी गड़ेरी पट्टी थाना जीयनपुर आजमगढ़ उम्र 52 वर्ष।
- संतोष वर्मा उर्फ तोसू वर्मा पुत्र रामजी वर्मा निवासी कटरा बलुआ थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष।
- पूनम पत्नी राज उर्फ सवारिया निवासिनी गड़ेरी पट्टी थाना जीयनपुर आजमगढ़ उम्र 29 वर्ष।
- राधा पत्नी किन्ते निवासिनी इमली मुहआ थाना पर्वई जनपद आजमगढ़ उम्र 47 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

1. अभियुक्त – सुरेश राम

- मु0अ0सं0 71/2025 धारा 317(2)/317(4)/317(5) BNS थाना जीयनपुर
- मु0अ0सं0 508/2024 धारा 305/317(2)/317(4)/317(5)/331(3) BNS थाना जीयनपुर

- मु0अ0सं0 209/2024 धारा 457/380/411 भादवि थाना जीयनपुर
- मु0अ0सं0 241/2024 धारा 457/380/411 भादवि थाना महराजगंज
- मु0अ0सं0 536/2025 धारा 135 विद्युत अधिकारी पावर थेप्ट
- मु0अ0सं0 507/2025 गैंगेस्टर एक्ट थाना जीयनपुर

2. अभियुक्त – संतोष वर्मा उर्फ तोसू

- मु0अ0सं0 71/2025 धारा 317(2)/317(4)/317(5) BNS थाना जीयनपुर
- मु0अ0सं0 508/2024 धारा 305/317(2)/317(4)/317(5)/331(3) BNS थाना जीयनपुर
- मु0अ0सं0 209/2024 धारा 457/380/411 भादवि थाना जीयनपुर
- मु0अ0सं0 241/2024 धारा 457/380/411 भादवि थाना महराजगंज
- मु0अ0सं0 507/2025 गैंगेस्टर एक्ट थाना जीयनपुर

3. अभियुक्ता – पूनम

- मु0अ0सं0 71/2025 धारा 317(2)/317(4)/317(5) BNS थाना जीयनपुर
- मु0अ0सं0 508/2024 धारा 305/317(2)/317(4)/317(5)/331(3) BNS थाना जीयनपुर
- मु0अ0सं0 209/2024 धारा 457/380/411 भादवि थाना जीयनपुर
- मु0अ0सं0 241/2024 धारा 457/380/411 भादवि थाना महराजगंज
- मु0अ0सं0 507/2025 गैंगेस्टर एक्ट थाना जीयनपुर

4. अभियुक्ता – राधा

- मु0अ0सं0 71/2025 धारा 317(2)/317(4)/317(5) BNS थाना जीयनपुर
- मु0अ0सं0 508/2024 धारा 305/317(2)/317(4)/317(5)/331(3) BNS थाना जीयनपुर
- मु0अ0सं0 209/2024 धारा 457/380/411 भादवि थाना जीयनपुर
- मु0अ0सं0 241/2024 धारा 457/380/411 भादवि थाना महराजगंज
- मु0अ0सं0 507/2025 गैंगेस्टर एक्ट थाना जीयनपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह
2. हेमा संदीप यादव
3. काम सौरभ कुमार पाण्डेय
4. काम हरिकिशन मौर्या
5. महांकाळ अर्चना कुशवाहा
6. महांकाळ ममता सिंह

थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट
थाना अतरौलिया

दिनांक- 11.12.2025

शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग को भगाने वाला आरोपी हिरासत में

पूर्व की घटना- दिनांक 03.04.2025 को वादी मुकदमा द्वारा थाना अतरौलिया पर तहरीर दिया गया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र रामप्रसाद निवासी डोमनपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ शादी का

झांसा देकर बहला फुसला कर भगा ले गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 0113/25 धारा 137(2),87 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचाना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 11.12.2025 को उ0नि0 राजेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुखबीर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र रामप्रसाद निवासी डोमनपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष को गदनपुर चौराहे से समय करीब 10.05 बजे गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय प्रस्तुत किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 113/25 धा धारा 137(2)/87/64(1) बीएनएस व 3/ 4 पाक्सो एक्ट थाना अतरौलिया आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- अनिल कुमार पुत्र रामप्रसाद निवासी डोमनपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 राजेन्द्र कुमार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 मनीष कुमार सिंह थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट

थाना कसानगंज

दिनांक- 11.12.2025

किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 17.06.2025 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 12.06.2025 को वादी मुकदमा की पुत्री घर पर बिना बताए कही चली गई। बहुत खोजबीन के बाद भी कोई पता नहीं चला। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 180/25 धारा 137(2) BNS पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 रमेश चन्द्र द्वारा प्रारम्भ की गयी।

►दौरान विवेचना प्रकाश में आया कि अभियुक्त शिवम प्रजापति पुत्र नागेन्द्र प्रजापति निवासी बनकट जगदीश थाना कसानगंज जनपद आजमगढ़ ने वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। पीड़िता की बरामदगी व साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 87, 65(1) BNS व 3/4(2) पाक्सो एक्ट तथा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी तथा मुकदमा उपरोक्त की विवेचना क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर अजय प्रताप द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 11.12.2025 को थानाध्यक्ष कसानगंज जय प्रकाश मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शिवम प्रजापति पुत्र नागेन्द्र प्रजापति निवासी बनकट जगदीश थाना कसानगंज जनपद आजमगढ़ को बूढ़नपुर गेट से समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार कर मा न्यायालय प्रस्तुत किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 180/25 धारा 137(2), 87, 65(1) BNS व 3/4(2) पाक्सो एक्ट तथा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना कसानगंज आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- शिवम प्रजापति पुत्र नागेन्द्र प्रजापति निवासी बनकट जगदीश थाना कसानगंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष जय प्रकाश थाना कसानगंज जनपद आजमगढ़।
2. का0 अवधेश कुमार थाना कसानगंज जनपद आजमगढ़।
3. का0 अजय चौधरी थाना कसानगंज जनपद आजमगढ़।